संख्या-2637 / सत्तर-1-2022

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 31 अगस्त, 2022

विषयः-दिनांक 04.08.2022 को अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में नैक मूल्यांकन के सम्बन्ध में आयोजित वर्चुअल बैठक के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि हेतु नैक संस्था से मूल्यांकन कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 04.08.2022 को अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में व्यापक विचार-विमर्श के उपरान्त उच्च शिक्षण संस्थाओं के नैक संस्था से मूल्यांकन कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश भी दिये गये-

1. नैक मूल्यांकन विगत पाँच वर्षो में किये गये कार्यों के आधार पर किया जाता है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विगत 2 वर्षों में जो सुधार कार्य हुये हैं उन्हें समझने की आवश्यकता है। महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि नैक द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन करने के उपरान्त ही उनको उच्च ग्रेड प्राप्त हो सकता है।
2. प्रदेश महाविद्यालयों के Curriculum में Flexibility, Multidisciplinary, Multiple entry and exit का समावेश किया गया है जो नैक में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायक होगा।
3. महाविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रम पर शामिल किए गए है तथा छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत प्रत्येक विषय का पहला अध्याय भारतीय ज्ञान परम्परा से संबंधित रखा गया है जिसकी सूची उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों को उपलब्ध करा दी जायेगी।
5. टीचिंग लर्निंग एण्ड इवैल्यूवेशन के अन्तर्गत शिक्षकों के लिए किये गये कार्य जिससे शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार होगा एवं नैक मूल्यांकन हेतु अंको की बढ़ोत्तरी हो सकेगी। राज्य विश्वविद्यालयों में 230 पदों पर नियुक्ति एवं 377 पदों पर प्रोन्नति प्रदान की गयी है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों हेतु 290 प्राचार्यों तथा 4,500 से अधिक नए प्रवक्ताओं का चयन कर उनकी तैनाती की गयी। राजकीय महाविद्यालयों में 674 नए प्रवक्ता नियुक्ति किये गये।
6. यू0जी0सी0 की गाइडलाइन्स के अनुसार महाविद्यालयों के अर्ह शिक्षकों को प्रोफेसर पद पर पदोन्नति प्रदान करने का निर्णय प्रदेश सरकार ने हाल में ही लिया है जिसके फलस्वरूप शासकीय महाविद्यालयों में 177 तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 400 शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान की गयी है।

राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रोफेसर पद पर पदोन्नति से महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन में अधिक अंक अर्जित करने में सुविधा होगी। प्रोफेसर पदनाम मिलने से विभिन्न केन्द्रीय एजेन्सियों से शोध अनुदान प्राप्त हो सकेंगे जिससे नैक ग्रेडिंग में प्राप्त अंको के आधार पर सुधार होगा। प्रोफेसर पद की प्रोन्नति से नैक में शिक्षकों को अभिप्रेरित करने वाले बिन्दु के अंक भी प्राप्त हो सकेंगे।

7. राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना आरम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत नियमित रूप से नियुक्त शिक्षकों को विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्य हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
8. महाविद्यालयों के शिक्षकों को PhD शोध निदेशक नामित करने से महाविद्यालयों में छात्र PhD के लिए पंजीकृत हो सकेंगे जिससे शोध कर्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी और नैक के अंक भी महाविद्यालयों को प्राप्त होंगे।
9. कार्यरत नियमित शिक्षकों को PhD कराने के लिए 10 प्रतिशत Supernumerary सीट की वृद्धि की गयी है। तथा कोर्सवर्क को ऑनलाइन कराने की अनुमति प्रदान की गयी है जिससे शिक्षक अपनी PhD को पूर्ण कर सकेंगे। PhD अर्हताधारी शिक्षकों के अंक महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन हेतु प्राप्त हो सकेंगे।
10. रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना 2020–21 से आरंभ की गयी है जिससे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को उच्च श्रेणी के शोध करने के लिए निरन्तर अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उच्च श्रेणी के शोध के द्वारा महाविद्यालयों के शिक्षकों के शोधपत्र उच्च गुणवत्ता वाले जर्नल्स में प्रकाशित हो सकेंगे। परिणामस्वरूप प्रोजेक्टस, शोध पत्र एवं पेटेंट की श्रेणी में महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन में अधिक अंक प्राप्त हो सकेंगे।
11. विद्यार्थियों में शोध मानसिकता विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के दृष्टिगत स्नातक स्तर से ही शोध कार्यों को यू0जी0 स्तर के पाठ्यक्रमों में जोड़ा गया है तथा इसे मूल्यांकन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से करने की अनुशंसा की गयी है। इससे सभी छात्र इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, फील्ड विजिट आदि गतिविधियों मे प्रतिभाग करेंगे। परिणामस्वरूप प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इंटर्नशिप तथा फील्ड विजिट के अंक भी नैक मूल्यांकन में महाविद्यालयों को प्राप्त हो सकेंगे।
12. प्रत्येक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी 7–10 राजकीय महाविद्यालय एवं 10–15 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों तथा 25–30 स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को चिन्हित कर लें जिनकी सूची बनाकर रखें एवं अगले 02 वर्षों में नैक संस्था से मूल्यांकन कराना सुनिश्चित करें।
13. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी राज्य विश्वविद्यालयों की IQAC सेल से दो–दो सदस्य नामित करा लें जो चिन्हित महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन कराने में मदद करेंगे।
14. प्रत्येक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इस वर्ष उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कम से कम 2 राजकीय महाविद्यालयों की नैक मूल्यांकन प्रक्रिया कराये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज को प्रेषित करें। प्राप्त प्रस्तावों को निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को दिनांक 17.08.2022 तक उपलब्ध करायें। अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा नैक मूल्यांकन शुल्क का भुगतान दिनांक 29.08.2022 तक निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज के माध्यम से किया जायेगा। मूल्यांकन पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिपूर्ति स्वरूप धनराशि को निदेशक द्वारा उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद में वापस जमा कराया जायेगा जिसे परिषद द्वारा आगे चिन्हित महाविद्यालयों के लिए नैक मूल्यांकन शुल्क के रूप में उपलब्ध कराया जा सकेगा।
15. उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद स्तर पर नैक मूल्यांकन हेतु चयनित 18 राजकीय महाविद्यालयों की वर्कशाप करायी जाय तथा मूल्यांकन तैयारी इस तरह की जाय जिससे उन्हें कम से कम A+ Grade प्राप्त हो सके। चिन्हित किये गये 18 महाविद्यालयों की एक वर्चुअल कार्यशाला करायें जिसमें में प्रत्येक Criteria पर चर्चा करायी जाय। यह कार्यशाला 03 माह में प्रत्येक दशा में पूर्ण करा ली जाय। इस चर्चा में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के साथ–साथ निदेशक, उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों के आई0क्यू0ए0सी0 को–आर्डिनेटर, संबंधित महाविद्यालयों के मूल्यांकन प्रतिभागियों तथा अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा प्रतिभाग किया जाय।
16. नैक मूल्यांकन हेतु चिन्हित महाविद्यालयों का क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा एक ग्रुप बनाकर अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले 02 महाविद्यालयों द्वारा बारी–बारी से वर्चुअल मोड में प्रस्तुतीकरण करवाए।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा इन महाविद्यालयों की कार्यशालाएँ 3–4 माह में आयोजित करायी जाय जिसमें शिक्षण संस्थाओं को नैक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु अवगत कराया जाय।

17. निदेशक, उच्च शिक्षा के स्तर पर हर माह के पहले शुक्रवार को अपराह्न 4.30 बजे अपर सचिव, उ0प्र0 उ0शि0 परिषद के सहयोग से चयनित 18 कालेजों की IQAC team, प्राचार्यों और सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी (RHEO) के साथ वर्चुअल बैठक करके NAAC मूल्यांकन हेतु की जा रही कार्यवाही की समीक्षा महाविद्यालयवार करके अपर मुख्य सचिव महोदया को कार्यवृत्त प्रेषित किया जाएगा।

निदेशक, उच्च शिक्षा उपरोक्तानुसार बैठकों की सूचना एवं जूम लिंक संबंधी पत्र निर्गत करके अपर मुख्य सचिव महोदया तथा अनुभागों को उपलब्ध कराएंगे ताकि संबंधित अनुभाग के अनुभाग अधिकारी एवं विशेष सचिव भाग ले सकें।

18. उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं से संबंधित प्रगति एवं फोटोग्राफ घोषणा पोर्टल पर 20 अगस्त तक अनिवार्यतः अपलोड कर दिए जाए. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि इससे संबंधित समस्त सूचनाएं विशेष सचिव अनुभाग–3 को तत्काल उपलब्ध कराएं।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नैक मूल्यांकन हेतु उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या–2637 (1)/सत्तर–1–2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(ब्रह्मदेव)
संयुक्त सचिव।

1-9-22
(संजय मेधावी)
कुलसचिव

GA/17283-305
संख्या–..... दिनांक– 08/09/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. निजी सचिव, कुलपति मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, ल0वि0वि0।
03. समस्त् संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक, इंचार्ज, ल0वि0वि0।
04. समस्त प्रचार्य/प्रचार्या सहयुक्त लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
05. वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0।
06. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0वि0।
07. कुलानुशासक, ल0वि0वि0
08. अधिष्ठाता, एकेडमिक, ल0वि0वि0।
09. मुख्य अभिरक्षक, ल0वि0वि0।
10. निदेशक, विधिक प्रकोष्ठ, ल0वि0वि0।
11. कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल0वि0वि0।
12. ओ0एस0डी0 आई0ए0एम0एस0, ल0वि0वि0।
13. निदेशक द्वितीय परिसर, ल0वि0वि0।
14. इंचार्ज अभियांत्रिकी संकाय, ल0वि0वि0।
15. निदेशक भैषजिक संस्थान, ल0वि0वि0।
16. समस्त् सहायक कुलसचिव, ल0वि0वि0।
17. निदेशक यू0डी0आर0सी0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की महाविद्यालय के लिंक पर अपलोड करने का कष्ट करें।
18. इंचार्ज वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित समस्त् को ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

1-9-22
कुलसचिव